

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: **UPFS/2024/114627/BJN/BIJNOR/737/CFO**

दिनांक: **15-04-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **P D M CONVENT SCHOOL AT PURAINI TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** (भवन/ प्रतिष्ठान का नाम)पता -,**DHAMPUR TO NAGINA ROAD,PURAINI NAGINA** तहसील - **NAGINA**, प्लॉट एरिया **3257.11**

sq.mt , कुल कवर्ड एरिया **1568.31** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	3	0	10.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **P D M CONVENT SCHOOL AT PURAINI TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **16-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NARENDRA KUMAR GUPTA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-04-2024** से **18-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **P D M CONVENT SCHOOL AT PURAINI TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **P D M CONVENT SCHOOL AT PURAINI TEHSIL NAGINA DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उक्त भवन को अग्निसुरक्षाअन्तिमअनापत्ति प्रमाणपत्र शासनादेशसंख्या-18 /छ:-पु 0-8 -2022/905-34 -201टी0सी0दिनांक07-01-2022एवं उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली2024 के उपबन्धों एवं FSSONगिना की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जाता है।अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे।फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।भवन के स्वरूप की वैधता सम्बंधित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वत निरस्त समझा जायेगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHARMA)

[A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225]

18-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **18-04-2024**
स्थान : **BIJNOR**